

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-2198/37-1-2015-9(17)/2015
लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2015

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा श्री राज्यपाल निम्नलिखित संयुक्त निदेशको/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को जनहित में उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र०	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना/प्रभार का स्थान	गृह जनपद/ज्ये०क्र०	तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	डा० विनोद कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अमेठी	सहारनपुर 547	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा
2	डा० सन्तोष कुमार द्विवेदी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद	जालौन 387	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कासगंज
3	डा० विजेन्द्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कासगंज	मु०नगर 546	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद
4	डा० अशोक कुमार यादव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	जौनपुर 505	संयुक्त निदेशक, कुक्कुट आहार प्रयोगशाला, मुख्यालय
5	डा० टी०पी० मिश्र, संयुक्त निदेशक प्रतीक्षारत, मुख्यालय	आजमगढ़ 517	संयुक्त निदेशक, कुक्कुट रोग नियन्त्रण मुख्यालय
6	डा० आर०बी० मौर्य, संयुक्त निदेशक प्रतीक्षारत मुख्यालय	आजमगढ़ 528	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भदोही
7	डा० विपिन कुमार अग्रवाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ	बुलन्दशहर 323	संयुक्त निदेशक, नियोजन, मुख्यालय
8	डा० उदय सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली	398 गाजियाबाद	संयुक्त निदेशक, पैथालाजिस्ट, मुरादाबाद
9	डा० बी०पी० सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भदोही	515 देवरिया	संयुक्त निदेशक, मानकीकरण, मुख्यालय
10	डा० डी०एन० मिश्रा, संयुक्त निदेशक पैथालाजिस्ट, लखनऊ मण्डल	इलाहाबाद 511	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव
11	डा० विनोद कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव	बुलन्दशहर 369	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

2- स्थानान्तरित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह आदेश निर्गत होने के दिनांक से 01 सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा

gim2

.....2

उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित प्राधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल अवमुक्त कर दे। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

दया शंकर सिंह

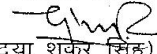
संयुक्त सचिव

संख्या-2198(1)/37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2), पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, पशुपालन ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(दया शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव